

**ग्राम पंचायत बौहड़कालू, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि० प्र० - 176001 के
अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बौहड़कालू, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति गुरजीत कौर	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जितेन्द्र कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतीश कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जसविंदर सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बौहड़कालू के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	0.04
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6.30
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.17
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान अनियमित भुगतान पाया जाना	26.81
5.	8.2	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.54
6.	8.3	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.58
7.	8.4	वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु	1.77

		क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त / अनियमित भुगतान का पाया जाना	
8.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि रुलाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना	72.66
9.	10.4	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.03

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बौहड़कालू विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.09.2024 से 27.09.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	02/2023	05/2022
2023-24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 27 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 25/2024 दिनांक 20.09.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	574381.69	67729.00	642110.69	73476.00	568634.69
2023-24	568634.69	85533.00	654167.69	195793.00	458374.69

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1143702.20	6009740.85	7153443.05	5760806.65	1392636.40
2023-24	1392636.40	3395321.00	4787957.40	4157556.00	630401.40

कुल योग (1+2) = 458374.69 + 630401.40 = 1088776.09

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹10,88,776.09** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹10,88,776.09** (परिशिष्ट - "ग") से सम्बन्धित समाधान विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), 5th SFC (राज्य वित्त आयोग) VKVNY (विधायक निधि) MMGPY (मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना)	KCCB काँगड़ा	20033022891	693644.69
2	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	Canara Bank नन्दरुल	4607101001252	391131.40
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			4000.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			1088776.09
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष :-			₹10,88,776.09
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			₹10,88,776.09
	अंतर :-			₹0.00

4.1 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए एक बैंक खाता खोलने व इस्तेमाल करने संबंधी अंकेक्षण आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	सभा निधि (Own Source)	KCCB काँगड़ा	20033022891
2.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		
3.	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)		
4.	5th SFC (राज्य वित्त आयोग)		
5.	VKVNY (विधायक निधि)		
6.	MMGPY (मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना)		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (Own Source), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF), 5th SFC (राज्य वित्त आयोग) VKVNY (विधायक निधि) MMGPY (मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बौहड़कालू दिनांक 26.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25 दिनांक 27.09.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि

भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), 5th SFC (राज्य वित्त आयोग) VKVNY (विधायक निधि) MMGPY (मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि ₹0.04 लाख हस्तगत नकद शेष का पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया सभा निधि रोकड़ बही के अवलोकन पर दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि ₹4,000.00 को हस्तगत रखा गया था व इसके अलावा दृष्टांत मामलों में चयनित माह में भी रोकड़ बही अनुसार प्रावधित सीमा से अधिक हस्तगत नकद शेष पाया गया जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०सं०	चयनित माह	दिनांक	हस्तगत नकद शेष (सभा निधि) (₹)
01	05/2022	31.05.2022	4385.00
02	02/2023	24.02.2023	5189.00
03	06/2023	30.06.2023	4525.00
04	03/2024	31.03.2024	4000.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बौहड़कालू दिनांक 26.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25 दिनांक 27.09.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा व अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में नकद राशि प्राप्ति उपरांत तुरंत ही बैंक में जमा करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित माह के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर सभा निधि रोकड़ बही की जांच की जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, करधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बौहड़कालू दिनांक 26.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था।

भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹6.30 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 25/2024 दिनांक 20.09.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख " पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 6,30,401.40 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बौहड़कालू दिनांक 26.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.17 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/बौहड़कालू दिनांक 21.09.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 21 दिनांक 24.09.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना और मांग व संग्रहण पंजिका एवं संबंधित रसीदों का अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹17,490.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "घ" पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बौहड़कालू दिनांक 26.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशि ₹ 26.81 लाख के अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रायल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पत्र क्रमांक XEN -(RD & PR) -DB- GENERAL /2023-1 /204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN- (RD & PR)- Royalty /2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये की खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाये परंतु ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बौहड़कालू दिनांक 23.09.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 24 दिनांक 26.09.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार आपूर्तिकर्ता को परिशिष्ट - " ड " पर संलग्न विवरणानुसार ₹26,81,281.94 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय

खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि ₹ 26,81,281.94 के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित जिला खनन अधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.54 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत पैरा (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति हेतु रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के

परिणामस्वरूप पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बौहड़कालू दिनांक 23.09.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 24 दिनांक 26.09.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार आपूर्तिकर्ता को अंकेक्षण अवधि के दौरान पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹4,34,089.20** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹54,261.15** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान के समर्थन में नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारी की नमूना जांच एवं सत्यापना उपरान्त तदनुसार रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.58 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2021 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा

सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत/अधीन एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय हेतु चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹28,90,602.38** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹57,812.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " छ " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की

वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.77 लाख का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 25/2024 दिनांक 20.09.2024 की अनुपालना में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पाया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु पौधों का क्रय हि० प्र० बागवानी विभाग को प्राथमिकता दिए बिना खुले बाजार से न्यूनतम निविदा दर के आधार पर आपूर्तिकर्ता को कुल राशि **2,18,400.00** का भुगतान किया गया था, परिणामस्वरूप हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की पौधों की बिक्री हेतु अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि **₹1,76,820.00** का अतिरिक्त / अनियमित भुगतान पाया गया जिसका विवरण परिशिष्ट " ज " में संलग्न है। अगर पौधों की खरीद हि० प्र० बागवानी विभाग से की जाती तो सरकारी विभाग को आय होती एवं ग्राम पंचायत को राशि **₹1,76,820.00** की बचत होती जिसे ग्राम पंचायत किसी अन्य विकास कार्य में इस्तेमाल कर सकती थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को

बताया गया कि पंचायत द्वारा पौधों की खरीद निविदाओं के आधार पर की गई थी व भविष्य में पौधों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए एवं विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा पैरे में शामिल अतिरिक्त भुगतान की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निदेशक एवं आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक SMS-1/2022-23/RDD-BA-plantation-6165-6200 दिनांक 14.08.2024 द्वारा जारी निर्देश अनुसार पौधों की खरीद हेतु संबंधित सहायक निदेशक बागवानी विभाग या स्थानीय बागवानी अधिकारी से तकनीकी परामर्श एवं सिफारिश उपरांत विभागीय नर्सरी/ पंजीकृत नर्सरी को प्राथमिकता दी जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

9.1 ग्राम पंचायत बौहड़कालू द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने के कारण राशि ₹72.66 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹72,66,276.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में मनरेगा कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा व नियमानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए एवं तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में भी उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 निर्माण कार्यों की नमूना जाँच न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं

तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नमूना जाँच एवं प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट " झ " पर संलग्न दृष्टांत मामलों ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1,225.00 की वसूली नहीं की गई थी। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बौहड़कालू दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 22 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 2003022891 में जमा करवा दिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि
1.	प्रशांत पड्डा	19.05.2023	12.06.2023	0147460	24.09.2024	₹ 200.00
2.	ऋषभ मनकोटिया	30.06.2023	18.07.2023	0147461	24.09.2024	₹ 200.00
3.	गुरदेव सिंह	14.07.2023	24.07.2023	0147462	24.09.2024	₹ 200.00
4.	संदीप कुमार	06.02.2024	22.02.2024	0147463	24.09.2024	₹ 200.00
5.	बलजीत बैस	17.02.2024	01.03.2024	0147464	24.09.2024	₹ 200.00
6.	अजय कुमार	19.02.2024	05.03.2024	0147465	24.09.2024	₹ 200.00
7.	जगजीत सिंह	04.03.2024	18.03.2024	0147466	24.09.2024	₹25.00

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

10.4 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार

राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि ₹ 3,050.00 को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बौहड़कालू दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 22 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं क्रॉस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर सामग्री, धन के रिसन (leakage) दुरुपयोग एवं दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/बौहड़कालू दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 23 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्ट्रों का रख रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्ट्रों में से निम्नलिखित रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर - II	ग्राम सभा (बैठक) प्रस्ताव और कार्यों की प्राथमिकता सूची, विशेष सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा (बैठक), प्रस्ताव और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
3.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
4.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
5.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
7.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

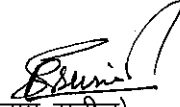
अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बौहड़कालू दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 27.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष :-** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

का०/प्रि०

5726-5730

26 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एच०प्र०)(पंच)(xv)(2)440/2024-खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09,

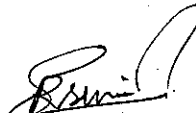
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
- 5 सचिव, ग्राम पंचायत बौहड़क्वालू, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

26 NOV 2024

का०/प्रि०


(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक,

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2620046

(परिशिष्ट "क" " पैरा संख्या " ५(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BOHADKAWALU FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	574381.69	67729.00	642110.69	73476.00	568634.69
2023-24	568634.69	85533.00	654167.69	195793.00	458374.69

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1143702.20	6009740.85	7153443.05	5760806.65	1392636.40
2023-24	1392636.40	3395321.00	4787957.40	4157556.00	630401.40

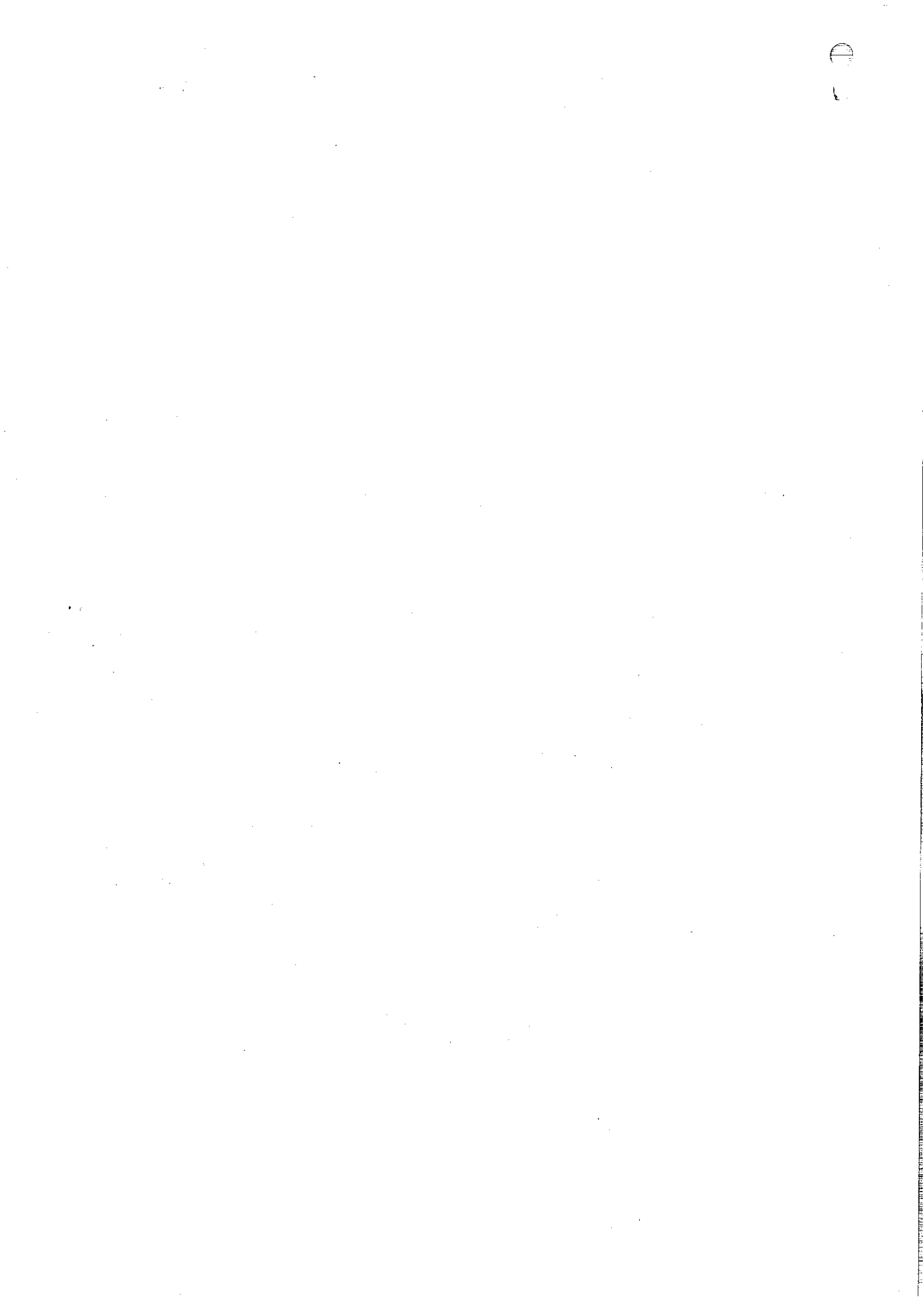
[Signature]
Secretary
Gram Panchayat, *[Signature]*
Dev. Block *[Signature]*

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BOHADKAWALU FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5thSFC	2022-23	160690.00	313536.00	474226.00	326388.00	147838.00
		2023-24	147838.00	426270.00	574108.00	482686.00	91422.00
2	MMGPY	2022-23	0.00	80000.00	80000.00	33280.00	46720.00
		2023-24	46720.00	79000.00	125720.00	65720.00	60000.00
3	VKVNY	2022-23	10000.00	245176.00	255176.00	220136.00	35040.00
		2023-24	35040.00	179000.00	214040.00	203540.00	10500.00
4	SDP	2022-23	1933.00	638700.00	640633.00	332195.00	308438.00
		2023-24	308438.00	178802.00	487240.00	409892.00	77348.00
5	SDRF	2022-23	0.00	120000.00	120000.00	30096.00	89904.00
		2023-24	89904.00	28500.00	118404.00	118404.00	0.00
6	15TH FC	2022-23	971079.20	942365.00	1913444.20	1148747.80	764696.40
		2023-24	764696.40	390283.00	1154979.40	763848.00	391131.40
7	MGNREGA	2022-23	0.00	3669963.85	3669963.85	3669963.85	0.00
		2023-24	0.00	2113466.00	2113466.00	2113466.00	0.00


 ११
 ११/११/२४
 Secretary
 Gram Panchayat
 Dev. Block



(परिशिष्ट " 3A " पैरा संख्या " ५(ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बौहड़कवाली, वि०ख० कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176001

ग्राम पंचायत पलेरा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंतशेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), 5th SFC (राज्य वित्तियोग) VKVNY (विधायक निधि) MMGPY (मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना)	KCCB काँगड़ा	20033022891	693644.69	697644.69
2	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	Canara Bank नन्दरूल	4607101001252	391131.40	391131.40
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		4000.00	0.00
		कुल योग		1088776.09	1088776.09

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	1088776.09
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	1088776.09
अंतर :-	0.00

Secretary

Gram Panchayat, Boudhikwala
Dev. Block



(परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या " 1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बोहड़कवाली, वि०ख० कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176001

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 496 परिवारों का ₹50/- तथा 2023-24 में 496 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 12,350.00	496	₹ 50.00	₹ 24,800.00	₹ 37,150.00	₹ 25,110.00	₹ 12,040.00
2023-24	₹ 12,040.00	496	₹ 100.00	₹ 49,600.00	₹ 61,640.00	₹ 44,150.00	₹ 17,490.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹17,490/- है।							

(Signature)

(Signature)

Secretary

Gram Panchayat

Dev.

(Signature)
कर्मचारी

ग्राम पंचायत बौहड़कवाल् द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ द्राजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान राशी ₹ 26.81 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./ दिनांक	बिल सं./ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि. पं सं.	फार्म X / फार्म Y
अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)										
1	M/s Arjun Singh	OWN/2022-23/ P/20/26.08.2022	093/ 17.08.2022	रेत केशर	1200	3	Cum	₹ 3,600.00	48	उपलब्ध नहीं है
2				बजरी केशर	1062	6	Cum	₹ 6,372.00	48	
अनुदान शीर्ष : 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)										
3	M/S JAYANTI CONSTRUCTION	5THSFC/2022-23/ P/5/21.04.2022	45/ 20.04.2022	रेत केशर	1200	3	Cum	₹ 3,600.00	48	उपलब्ध नहीं है
4				बजरी केशर	1100	3	Cum	₹ 3,300.00	48	
5				बोल्डर	800	2	Cum	₹ 1,600.00	48	
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)										
6	M/S ARJUN SINGH	VKVNY/2022-23/ P/13/16.03.2023	117/ 20.02.2023	रेत केशर	1680	4	Cum	₹ 6,720.00	54	उपलब्ध नहीं है
7				बजरी केशर	1580	4.39	Cum	₹ 6,936.20	54	
8				बोल्डर	1200	4.95	Cum	₹ 5,940.00	54	
9	M/S ARJUN SINGH	VKVNY/2022-23/ P/14/16.03.2023	114/ 20.01.2023	रेत केशर	1680	5.42	Cum	₹ 9,105.60	54	उपलब्ध नहीं है
10				बजरी केशर	1580	10.9	Cum	₹ 17,222.00	54	
11				बोल्डर	1200	13.7	Cum	₹ 16,440.00	54	
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
12	M/S ARJUN SINGH	SDP/2022-23/ P/5/09.06.2022	187/ 20.05.2022	रेत केशर	1600	3	Cum	₹ 4,800.00	48	उपलब्ध नहीं है
13				बजरी केशर	1580	6	Cum	₹ 9,480.00	48	
14				बोल्डर	1200	3.507	Cum	₹ 4,208.40	48	
15	M/S ARJUN SINGH	SDP/2022-23/ P/15/10.01.2023	103/ 08.08.2022	रेत केशर	1680	6.55	Cum	₹ 11,004.00	53	उपलब्ध नहीं है
16				बजरी केशर	1580	4.11	Cum	₹ 6,493.80	53	
17				सोलिंग स्टोन	1200	8	Cum	₹ 9,600.00	53	
18				टूटा पत्थर	14	325	पत्थर	₹ 4,550.00	53	
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)										
19	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/1/07.04.2022	185/ 05.04.2022	रेत केशर	1600	0.549	Cum	₹ 878.40	51	उपलब्ध नहीं है
20				बजरी केशर	1580	0.556	Cum	₹ 878.48	51	
21	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/3/21.04.2022	186/ 05.04.2022	रेत केशर	1600	10.80	Cum	₹ 17,280.00	47	उपलब्ध नहीं है
22				बजरी केशर	1580	21.7	Cum	₹ 34,286.00	47	
23				बोल्डर	1200	16.85	Cum	₹ 20,220.00	47	
24	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/12/15.07.2022	190/ 19.06.2022	रेत केशर	1600	9	Cum	₹ 14,400.00	52	उपलब्ध नहीं है
25				बजरी केशर	1580	0.7	Cum	₹ 1,106.00	52	
26				टूटा पत्थर	14	2811	प्रति	₹ 39,354.00	52	
27	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/15/15.07.2022	191/ 19.06.2022	रेत केशर	1600	10	Cum	₹ 16,000.00	52	उपलब्ध नहीं है
28				बजरी केशर	1580	5.10	Cum	₹ 8,058.00	52	
29				टूटा पत्थर	14	1853	पत्थर	₹ 25,942.00	52	
30	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/25/29.11.2022	06/ 22.10.2022	रेत केशर	1680	2.75	Cum	₹ 4,620.00	53	उपलब्ध नहीं है
31				बजरी केशर	1580	5.50	Cum	₹ 8,690.00	53	
32				बोल्डर	1200	10.79	Cum	₹ 12,948.00	53	
33	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/27/29.11.2022	07/ 22.10.2022	रेत केशर	1680	4.20	Cum	₹ 7,056.00	51	उपलब्ध नहीं है
34				बजरी केशर	1580	8.14	Cum	₹ 12,861.20	51	
35				बोल्डर	1200	14.17	Cum	₹ 17,004.00	51	
36	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/32/07.01.2023	101/ 30.11.2022	रेत केशर	1680	10.20	Cum	₹ 17,136.00	54	उपलब्ध नहीं है
37				बजरी केशर	1580	20.40	Cum	₹ 32,232.00	54	
38				सोलिंग स्टोन	1200	8.50	Cum	₹ 10,200.00	54	
39	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/40/16.03.2023	115/ 20.02.2023	रेत केशर	1680	5.50	Cum	₹ 9,240.00	49	उपलब्ध नहीं है
40				बजरी केशर	1580	11	Cum	₹ 17,380.00	49	
41				बोल्डर	1200	5.139	Cum	₹ 6,166.80	49	
42	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/42/16.03.2023	116/ 20.02.2023	रेत केशर	1680	7.75	Cum	₹ 13,020.00	53	उपलब्ध नहीं है
43				बजरी केशर	1580	6	Cum	₹ 9,480.00	53	
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)										
44	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	162/ 20.09.2021	SAND	₹ 1,600.00	18.23	cum	₹ 29,168.00	9	उपलब्ध नहीं है
45				Aggerigate 40mm	₹ 1,580.00	36.26	cum	₹ 57,290.80		
46	Arjun Singh	NIL/ 28.06.2022	171/ 29.12.2021	Sand	₹ 1,600.00	4.79	cum	₹ 7,664.00	5	उपलब्ध नहीं है
47				Aggerigate 10mm	₹ 1,580.00	9.39	cum	₹ 14,836.20		
48	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	170/ 25.02.2022	SAND	₹ 1,600.00	2.5	cum	₹ 4,000.00	4	उपलब्ध नहीं है
49				Aggerigate	₹ 1,580.00	1.89	cum	₹ 2,986.20		
50	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	70/ 28.02.2022	Boulder	₹ 1,200.00	1.48	cum	₹ 1,776.00	5	उपलब्ध नहीं है
51				Sand	₹ 1,600.00	4.71	cum	₹ 7,536.00		
52	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	154/ 03.07.2021	Aggerigate	₹ 1,580.00	9.44	cum	₹ 14,915.20	9	उपलब्ध नहीं है
53				Sand	₹ 1,200.00	20.96	cum	₹ 25,152.00		
54	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	169/ 10.11.2021	Aggerigate	₹ 800.00	41.92	cum	₹ 33,536.00	9	उपलब्ध नहीं है
55				Sand	₹ 1,600.00	20.39	cum	₹ 32,624.00		
56	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	169/ 10.11.2021	Aggerigate	₹ 1,580.00	36.12	cum	₹ 57,069.60	9	उपलब्ध नहीं है

Sha

31

6 29

Grand



57	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	158/ 14.07.2021	Sand	₹ 1,600.00	6.67	cum	₹ 10,672.00	9	उपलब्ध नहीं है
58				Aggerigate	₹ 1,580.00	13.13	cum	₹ 20,745.40		
59	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	161/ 20.09.2021	Sand	₹ 1,600.00	20.18	cum	₹ 32,288.00	9	उपलब्ध नहीं है
60				Aggerigate	₹ 1,580.00	40	cum	₹ 63,200.00		
61	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	157/ 14.97.2021	Sand	₹ 1,600.00	17.92	cum	₹ 28,672.00	13	उपलब्ध नहीं है
62				Aggerigate	₹ 1,580.00	32.46	cum	₹ 51,286.80		
63	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	80/ 20.03.2022	Sand	₹ 1,600.00	15.9	cum	₹ 25,440.00	4	उपलब्ध नहीं है
64				Aggerigate	₹ 1,580.00	31.9	cum	₹ 50,402.00		
65	Arjun Singh	NIL/ 28.06.2022	173/ 29.12.2021	Sand	₹ 1,600.00	13.3	cum	₹ 21,280.00	5	उपलब्ध नहीं है
66				Aggerigate	₹ 1,580.00	26.6	cum	₹ 42,028.00		
67	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	168/ 10.11.2021	Sand	₹ 1,600.00	5	cum	₹ 8,000.00	13	उपलब्ध नहीं है
68				Aggerigate	₹ 1,580.00	13.4	cum	₹ 21,172.00		
69	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	079/ 28.02.2022	Sand	₹ 1,600.00	21.09	cum	₹ 33,744.00	4	उपलब्ध नहीं है
70				Aggerigate	₹ 1,580.00	20.66	cum	₹ 32,642.80		
71				Boulder	₹ 600.00	17.01	cum	₹ 10,206.00		
72	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	149/ 03.07.2021	Sand	₹ 1,600.00	11.97	cum	₹ 19,152.00	13	उपलब्ध नहीं है
73				Aggerigate	₹ 1,580.00	19.96	cum	₹ 31,536.80		
74				Boulder	₹ 600.00	33.58	cum	₹ 20,148.00		
75	Raj Kumar	NIL/ 17.05.2022	198/ 20.09.2021	Boulder	₹ 600.00	25	cum	₹ 15,000.00	13	उपलब्ध नहीं है
76				Sand	₹ 1,200.00	12.23	cum	₹ 14,676.00		
77				Aggerigate	₹ 800.00	24.47	cum	₹ 19,576.00		
78	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	159/ 10.11.2021	Boulder	₹ 600.00	83.33	cum	₹ 49,998.00	13	उपलब्ध नहीं है
79	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	072/ 28.02.2022	Sand	₹ 1,600.00	14.86	cum	₹ 23,776.00	4	उपलब्ध नहीं है
80				Aggerigate	₹ 1,580.00	18.79	cum	₹ 29,688.20		
81	Arjun Singh	NIL/ 28.06.2022	172/ 29.12.2021	Sand	₹ 1,600.00	11.86	cum	₹ 18,976.00	5	उपलब्ध नहीं है
82				Aggerigate	₹ 1,580.00	23.73	cum	₹ 37,493.40		
83				Boulder	₹ 600.00	4.33	cum	₹ 2,598.00		
84	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	166/ 10.11.2021	Boulder	₹ 600.00	58	cum	₹ 34,800.00	15	उपलब्ध नहीं है
85	Raj Kumar	NIL/ 17.05.2022	105/ 20.09.2021	Sand	₹ 1,200.00	23.24	cum	₹ 27,888.00	15	उपलब्ध नहीं है
86				Aggerigate	₹ 800.00	46.48	cum	₹ 37,184.00		
87	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	157/ 03.07.2021	Sand	₹ 1,600.00	3.69	cum	₹ 5,904.00	15	उपलब्ध नहीं है
88				Aggerigate	₹ 1,580.00	16.54	cum	₹ 26,133.20		

वित्त वर्ष 2023-24

अनुदान शीर्ष : सभा निधि (Own Source)										
89	M/S ARJUN SINGH	OWN/2023-24/ P/37/29.01.2024	144/ 16.01.2024	बजरी केशर	₹ 1,650.00	0.98	Cum	₹ 1,617.00	57	उपलब्ध नहीं है
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)										
90				रेत केशर	₹ 1,700.00	3.90	Cum	₹ 6,630.00	54	
91	M/S ARJUN SINGH	VKVNY/2023-24/ P/3/11.07.2023	127/ 30.04.2023	बजरी केशर	₹ 1,600.00	7.85	Cum	₹ 12,560.00	54	उपलब्ध नहीं है
92				बोल्डर	₹ 1,400.00	9.95	Cum	₹ 13,930.00	54	
अनुदान शीर्ष : राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)										
93	M/S ARJUN SINGH	SDRF/2023-24/ P/3/17.08.023	150/ 12.05.2023	रेत केशर	₹ 1,600.00	14	Cum	₹ 22,400.00	55	उपलब्ध नहीं है
94				बजरी केशर	₹ 1,580.00	28	Cum	₹ 44,240.00	55	
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
95	M/S ARJUN SINGH	SDP/2023-24/ P/5/17.08.2023	152/ 15.07.2023	रेत केशर	₹ 1,600.00	8.95	Cum	₹ 14,320.00	55	उपलब्ध नहीं है
96				बजरी केशर	₹ 1,580.00	3.85	Cum	₹ 6,083.00	55	
97	M/S ARJUN SINGH	SDP/2023-24/ P/7/17.08.2023	149/ 12.05.2023	रेत केशर	₹ 1,600.00	18	Cum	₹ 28,800.00	55	उपलब्ध नहीं है
98				बजरी केशर	₹ 1,580.00	36	Cum	₹ 56,880.00	55	
99	M/S ARJUN SINGH	SDP/2023-24/ P/8/29.01.2024	145/ 22.08.2023	रेत केशर	₹ 1,680.00	5	Cum	₹ 8,400.00	53	उपलब्ध नहीं है
100				बजरी केशर	₹ 1,580.00	1.07	Cum	₹ 1,690.60	53	
101				ट्टा पत्थर	₹ 14.00	329	पत्थर	₹ 4,606.00	53	
अनुदान शीर्ष : मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)										
102	M/S ARJUN SINGH	MMGPY/2023-24/ P/3/11.07.2023	151/ 25.04.2023	रेत केशर	₹ 1,700.00	5.50	Cum	₹ 9,350.00	54	उपलब्ध नहीं है
103				बजरी केशर	₹ 1,600.00	10	Cum	₹ 16,000.00	54	
104				बोल्डर	₹ 1,400.00	10.55	Cum	₹ 14,770.00	54	
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)										
106	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2023-24/ P/9/17.05.2023	119/ 04.04.2023	रेत केशर	₹ 1,700.00	1.25	Cum	₹ 2,125.00	49	उपलब्ध नहीं है
107				बजरी केशर	₹ 1,650.00	2.25	Cum	₹ 3,712.50	49	
108				बोल्डर	₹ 1,400.00	6.98	Cum	₹ 9,772.00	49	
109	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/26/01.08.2023	129/ 25.07.2023	रेत केशर	₹ 1,700.00	5	Cum	₹ 8,500.00	55	उपलब्ध नहीं है
110				बजरी केशर	₹ 1,550.00	10	Cum	₹ 15,500.00	55	
111				बोल्डर	₹ 1,200.00	16	Cum	₹ 19,200.00	55	
112	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/29/15.09.2023	136/ 26.08.2023	रेत केशर	₹ 1,600.00	2	Cum	₹ 3,200.00	56	उपलब्ध नहीं है
113				बजरी केशर	₹ 1,550.00	4	Cum	₹ 6,200.00	56	
114				बोल्डर	₹ 1,200.00	8.45	Cum	₹ 10,140.00	56	
115	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/31/15.09.2023	137/ 26.08.2023	रेत केशर	₹ 1,600.00	0.924	Cum	₹ 1,478.40	56	उपलब्ध नहीं है
116				बजरी केशर	₹ 1,550.00	1.75	Cum	₹ 2,712.50	56	
117				बोल्डर	₹ 1,200.00	4.76	Cum	₹ 5,712.00	56	
118	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/33/15.09.2023	135/ 08.08.2023	रेत केशर	₹ 1,600.00	2	Cum	₹ 3,200.00	56	उपलब्ध नहीं है
119				बजरी केशर	₹ 1,550.00	4	Cum	₹ 6,200.00	56	
120				बोल्डर	₹ 1,200.00	8.45	Cum	₹ 10,140.00	56	

Arjun

Arjun

Arjun

30

Arjun

121	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/36/15.09.2023	138/ 20.08.2023	रेत क्रेशर	₹ 1,600.00	0.50	Cum	₹ 800.00	56	उपलब्ध नहीं है	
122				बजरी क्रेशर	₹ 1,550.00	0.47	Cum	₹ 728.50	56		
123	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/50/29.11.2023	140/ 15.08.2023	रेत क्रेशर	₹ 1,700.00	2.6	Cum	₹ 4,420.00	57	उपलब्ध नहीं है	
124				बजरी क्रेशर	₹ 1,650.00	5.20	Cum	₹ 8,580.00	57		
125	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/53/29.11.2023	141/ 22.11.2023	रेत क्रेशर	₹ 1,700.00	2.25	Cum	₹ 3,825.00	57	उपलब्ध नहीं है	
126				बजरी क्रेशर	₹ 1,650.00	4.53	Cum	₹ 7,474.50	57		
127				बोल्डर	₹ 1,400.00	2.50	Cum	₹ 3,500.00	57		
128	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/55/01.01.2024	154/ 26.08.2023	रेत क्रेशर	₹ 1,700.00	3.08	Cum	₹ 5,236.00	57	उपलब्ध नहीं है	
129				बजरी क्रेशर	₹ 1,650.00	3.06	Cum	₹ 5,049.00	57		
130				दूटा पत्थर	₹ 15.00	228	पत्थर	₹ 3,420.00	57		
131	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/62/21.02.2024	147/ 05.02.2024	रेत क्रेशर	₹ 1,700.00	4.90	Cum	₹ 8,330.00	57	उपलब्ध नहीं है	
132				बजरी क्रेशर	₹ 1,650.00	9.88	Cum	₹ 16,302.00	57		
133				सोलिंग स्टोन	₹ 1,400.00	10	Cum	₹ 14,000.00	57		
134	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/66/08.03.2024	148/ 20.02.2024	रेत क्रेशर	₹ 1,700.00	8	Cum	₹ 13,600.00	57	उपलब्ध नहीं है	
135				बजरी क्रेशर	₹ 1,650.00	16.50	Cum	₹ 27,225.00	57		
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)											
136	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	10/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	24.04	Cum	₹ 26,708.44	3	उपलब्ध नहीं है	
137				AGGRIGATE 20MM	₹ 1,276.00	11.14	Cum	₹ 14,214.64			
138				AGGRIGATE 40MM	₹ 1,069.00	39.47	Cum	₹ 42,193.43			
139	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	09/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	27.36	Cum	₹ 30,396.96	6	उपलब्ध नहीं है	
140				AGGRIGATE 20MM	₹ 1,276.00	14.04	Cum	₹ 17,915.04			
141				AGGRIGATE 40MM	₹ 1,069.00	38.02	Cum	₹ 40,643.38			
142				BOULDER	₹ 600.00	27	Cum	₹ 16,200.00			
143	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	14/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	12.51	Cum	₹ 13,898.61	2	उपलब्ध नहीं है	
144				Aggrigate 10mm	₹ 1,281.00	6.18	Cum	₹ 7,916.58			
145				Aggrigate 20mm	₹ 1,276.00	18.84	Cum	₹ 24,039.84			
146	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	13/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	12.51	Cum	₹ 13,898.61	2	उपलब्ध नहीं है	
147				Aggrigate 10mm	₹ 1,281.00	6.18	Cum	₹ 7,916.58			
148				Aggrigate 20mm	₹ 1,276.00	18.84	Cum	₹ 24,039.84			
149	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	15/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	17.35	Cum	₹ 19,275.85	10	उपलब्ध नहीं है	
150				Aggrigate 10mm	₹ 1,281.00	8.58	Cum	₹ 10,990.98			
151				Aggrigate 20mm	₹ 1,276.00	26.13	Cum	₹ 33,341.88			
152	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	16/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	13.01	Cum	₹ 14,454.11	10	उपलब्ध नहीं है	
153				Aggrigate 10mm	₹ 1,281.00	6.43	Cum	₹ 8,236.83			
154				Aggrigate 20mm	₹ 1,276.00	19.59	Cum	₹ 24,996.84			
155	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	17/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	13.35	Cum	₹ 14,831.85	7	उपलब्ध नहीं है	
156				Aggrigate 10mm	₹ 1,281.00	6.6	Cum	₹ 8,454.60			
157				Aggrigate 20mm	₹ 1,276.00	20.1	Cum	₹ 25,647.60			
158	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	18/ 14.03.2023	SAND CRUSHER	₹ 1,111.00	6.49	Cum	₹ 7,210.39	4	उपलब्ध नहीं है	
159				Aggrigate 20mm	₹ 1,276.00	8.68	Cum	₹ 11,075.68			
160				CONVENYANCE	₹ 7,260.00	1	Cum	₹ 7,260.00			
161	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	11/ 14.03.2023	CONVENYANCE	₹ 1,170.00	33.26	Cum	₹ 38,914.20	3	उपलब्ध नहीं है	
162	M/S ARJUN SINGH	Nil/ 23.06.2023	20/ 14.03.2023	CONVENYANCE	₹ 1,170.00	35.71	Cum	₹ 41,780.70	3	उपलब्ध नहीं है	
					कुल योग				₹ 26,81,281.94		

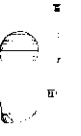
Rayan Kulu

(Signature)
Arjun Singh

Technical Assistant
Gram Panchayat, Bohar Kulu
Development Block Kangra (H.P.)

(Signature)

Secretary
Gram Panchayat, Bohar Kulu
Dev. Block, Kangra (H.P.)



ग्राम पंचायत बौहड़कवाली द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार पत्थर की खरीद में रिक्तियाँ (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.54 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2022-23

क्र.सं.	आपूर्तिकर्ता	वा.सं./ दिनांक	बिल सं./ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	भुगतान की गई राशि	कटौती दर	रिक्तियाँ (Voids)
अनुदान शीर्ष : 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)										
1	M/S JAYANTI CONSTRUCTION	STHSFC/2022-23/ P/5/21.04.2022	45/ 20.04.2022	बोल्डर	₹ 800.00	2	Cum	₹ 1,600.00	12.5 %	₹ 200.00
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)										
2	M/S ARJUN SINGH	VKVNY/2022-23/ P/13/16.03.2023	117/ 20.02.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	4.95	Cum	₹ 5,940.00	12.5 %	₹ 742.50
3	M/S ARJUN SINGH	VKVNY/2022-23/ P/14/16.03.2023	114/ 20.01.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	13.7	Cum	₹ 16,440.00	12.5 %	₹ 2,055.00
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
4	M/S ARJUN SINGH	SDP/2022-23/ P/5/09.06.2022	187/ 20.05.2022	बोल्डर	₹ 1,200.00	3.507	Cum	₹ 4,208.40	12.5 %	₹ 526.05
5	M/S ARJUN SINGH	SDP/2022-23/ P/15/10.01.2023	103/ 08.08.2022	सोलिंग स्टोन	₹ 1,200.00	8	Cum	₹ 9,600.00	12.5 %	₹ 1,200.00
6				टूटा पत्थर	₹ 14.00	325	पत्थर	₹ 4,550.00	12.5 %	₹ 568.75
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)										
7	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/3/21.04.2022	186/ 05.04.2022	बोल्डर	₹ 1,200.00	16.85	Cum	₹ 20,220.00	12.5 %	₹ 2,527.50
8	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/12/15.07.2022	190/ 19.06.2022	टूटा पत्थर	₹ 14.00	2811	पत्थर	₹ 39,354.00	12.5 %	₹ 4,919.25
9	M/s Arjun Singh	XVFC/2022-23/ P/15/15.07.2022	191/ 19.06.2022	टूटा पत्थर	₹ 14.00	1853	पत्थर	₹ 25,942.00	12.5 %	₹ 3,242.75
10	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/25/29.11.2022	06/ 22.10.2022	बोल्डर	₹ 1,200.00	10.79	Cum	₹ 12,948.00	12.5 %	₹ 1,618.50
11	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/27/29.11.2022	07/ 22.10.2022	बोल्डर	₹ 1,200.00	14.17	Cum	₹ 17,004.00	12.5 %	₹ 2,125.50
12	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/32/07.01.2023	101/ 30.11.2022	सोलिंग स्टोन	₹ 1,200.00	8.50	Cum	₹ 10,200.00	12.5 %	₹ 1,275.00
13	M/S ARJUN SINGH	XVFC/2022-23/ P/40/16.03.2023	115/ 20.02.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	5.139	Cum	₹ 6,166.80	12.5 %	₹ 770.85
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)										
14	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	70/ 28.02.2022	Boulder	₹ 1,200.00	1.48	cum	₹ 1,776.00	12.5 %	₹ 222.00
15	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	079/ 28.02.2022	Boulder	₹ 600.00	17.01	cum	₹ 10,206.00	12.5 %	₹ 1,275.75
16	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	149/ 03.07.2021	Boulder	₹ 600.00	33.58	cum	₹ 20,148.00	12.5 %	₹ 2,518.50
17	Raj Kumar	NIL/ 17.05.2022	198/ 20.09.2021	Boulder	₹ 600.00	25	cum	₹ 15,000.00	12.5 %	₹ 1,875.00
18	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	159/ 10.11.2021	Boulder	₹ 600.00	83.33	cum	₹ 49,998.00	12.5 %	₹ 6,249.75
19	Arjun Singh	NIL/ 28.06.2022	172/ 29.12.2021	Boulder	₹ 600.00	4.33	cum	₹ 2,598.00	12.5 %	₹ 324.75
20	Arjun Singh	NIL/ 17.05.2022	166/ 10.11.2021	Boulder	₹ 600.00	58	cum	₹ 34,800.00	12.5 %	₹ 4,350.00

वित्त वर्ष 2023-24

अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)										
21	M/S Arjun Singh	VKVNY/2023-24/ P/3/11.07.2023	127/ 30.04.2023	बोल्डर	₹ 1,400.00	9.95	Cum	₹ 13,930.00	12.5 %	₹ 1,741.25
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)										
22	M/S Arjun Singh	SDP/2023-24/ P/8/29.01.2024	145/ 22.08.2023	टूटा पत्थर	₹ 14.00	329	पत्थर	₹ 4,606.00	12.5 %	₹ 575.75
अनुदान शीर्ष : मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)										
23	M/S Arjun Singh	MMGPY/2023-24/ P/3/11.07.2023	151/ 25.04.2023	बोल्डर	₹ 1,400.00	10.55	Cum	₹ 14,770.00	12.5 %	₹ 1,846.25
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15th FC)										
24	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/9/17.05.2023	119/ 04.04.2023	बोल्डर	₹ 1,400.00	6.98	Cum	₹ 9,772.00	12.5 %	₹ 1,221.50
25	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/26/01.08.2023	129/ 25.07.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	16	Cum	₹ 19,200.00	12.5 %	₹ 2,400.00
26	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/29/15.09.2023	136/ 26.08.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	8.45	Cum	₹ 10,140.00	12.5 %	₹ 1,267.50
27	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/31/15.09.2023	137/ 26.08.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	4.76	Cum	₹ 5,712.00	12.5 %	₹ 714.00
28	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/33/15.09.2023	135/ 08.08.2023	बोल्डर	₹ 1,200.00	8.45	Cum	₹ 10,140.00	12.5 %	₹ 1,267.50
29	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/53/29.11.2023	141/ 22.11.2023	बोल्डर	₹ 1,400.00	2.50	Cum	₹ 3,500.00	12.5 %	₹ 437.50
30	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/55/01.01.2024	154/ 26.08.2023	टूटा पत्थर	₹ 15.00	228	पत्थर	₹ 3,420.00	12.5 %	₹ 427.50
31	M/S Arjun Singh	XVFC/2023-24/ P/62/21.02.2024	147/ 05.02.2024	सोलिंग स्टोन	₹ 1,400.00	10	Cum	₹ 14,000.00	12.5 %	₹ 1,750.00
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)										
32	M/S Arjun Singh	NIL/ 23.06.2023	09/ 14.03.2023	BOULDER	₹ 600.00	27	Cum	₹ 16,200.00	12.5 %	₹ 2,025.00
कुल योग								₹ 4,34,089.20		₹ 54,261.15

Arjun Singh
M/S Arjun Singh
Dev. Block Kangra (M.P.)

Payal Lal
Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (M.P.)

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Kangra (M.P.)

32

ग्राम पंचायत बौहड़कवाल् द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹ 0.58 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	M/S ArjunSingh Village Pathiar, P.O. Bohar-Kawalu, Kangra, GST No. 02IXXPS0791E1ZX	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Mixer machine and Shuttering	₹ 17,51,080.92	2%	₹ 35,021.62
2	2023-24	M/S ArjunSingh Village Pathiar, P.O. Bohar-Kawalu, Kangra, GST No. 02IXXPS0791E1ZX	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Mixer machine and Shuttering	₹ 11,39,521.46	2%	₹ 22,790.43
Total (R/Off)				₹ 28,90,602.38	2%	₹ 57,812.00

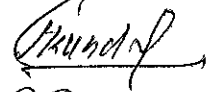
NOTE:-

1. There was no bifurcation of GST Paid in bills of M/S Arjun Singh therefore whole bill amount is considered for calculation of G.S.T. T.D.S.

[Signature]
Secretary
Gram Panchayat, Boudhikwal
Dev. Block, Kangra

ग्राम पंचायत बौहड़कवाल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत पौधरोपण हेतु क्रय पौधों का हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुमोदित दर की तुलना में आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.77 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	क्रय की गई मात्रा	भुगतान की गई दर	भुगतान की गई राशी	हि० प्र० बागवानी विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुमोदित दर	हि० प्र० बागवानी विभाग की अनुमोदित दर अनुसार भुगतान योग्य राशि	अंतर
1	VK FLOWER	Nil/	002220/	LEMON	100	₹ 160.00	₹ 16,000.00	₹ 30.00	₹ 3,000.00	₹ 13,000.00
2	NURSERY	20.08.2022	22.08.2022	MANGO	36	₹ 250.00	₹ 9,000.00	₹ 30.00	₹ 1,080.00	₹ 7,920.00
3	VK FLOWER NURSERY	Nil/	002222/	LEMON	100	₹ 160.00	₹ 16,000.00	₹ 30.00	₹ 3,000.00	₹ 13,000.00
4				AMLA	100	₹ 250.00	₹ 25,000.00	₹ 30.00	₹ 3,000.00	₹ 22,000.00
5				MOSHAMI	100	₹ 160.00	₹ 16,000.00	₹ 50.00	₹ 5,000.00	₹ 11,000.00
6				MANGO	50	₹ 250.00	₹ 12,500.00	₹ 30.00	₹ 1,500.00	₹ 11,000.00
7				GALGAL	45	₹ 160.00	₹ 7,200.00	₹ 25.00	₹ 1,125.00	₹ 6,075.00
8	VK FLOWER NURSERY	Nil/	002221/	LEMON	100	₹ 160.00	₹ 16,000.00	₹ 30.00	₹ 3,000.00	₹ 13,000.00
9				AMLA	50	₹ 250.00	₹ 12,500.00	₹ 30.00	₹ 1,500.00	₹ 11,000.00
10				MOSHAMI	30	₹ 160.00	₹ 4,800.00	₹ 50.00	₹ 1,500.00	₹ 3,300.00
11				MANGO	100	₹ 250.00	₹ 25,000.00	₹ 30.00	₹ 3,000.00	₹ 22,000.00
12				ORANGE	100	₹ 160.00	₹ 16,000.00	₹ 50.00	₹ 5,000.00	₹ 11,000.00
13	vk Flower Nursery	NIL/	002108/	GALGAL	15	₹ 160.00	₹ 2,400.00	₹ 25.00	₹ 375.00	₹ 2,025.00
14				Lemon	150	₹ 160.00	₹ 24,000.00	₹ 30.00	₹ 4,500.00	₹ 19,500.00
15				Santra	50	₹ 160.00	₹ 8,000.00	₹ 50.00	₹ 2,500.00	₹ 5,500.00
16		17.05.2022	10.08.2021	Mousmi	50	₹ 160.00	₹ 8,000.00	₹ 50.00	₹ 2,500.00	₹ 5,500.00
					कुल जोड़		₹ 2,18,400.00		₹ 41,580.00	₹ 1,76,820.00


 सचिव
 Secretory
 Gram Panchayat "बौहड़कवाल"
 Dev. Block, District "Meerut"

ग्राम पंचायत बौहड़कवाला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों से संबंधित निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना व माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करना तथा नमूना जांच न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹72.66 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	कुल प्राप्त राशी	कुल व्यय राशि	मूल्यांकन राशि	एम.वी. सं.	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
1	नि. रास्ता बाबे अम्ब से कुआ तक विशाल गुरमीत काहन सिंह की जमीन तक	2023-2024	₹ 2,50,000.00	₹ 2,15,651.00	₹ 2,15,651.00	₹ 2,26,374.00	17786	16-18	पूर्ण
2	नि. एम्बुलेंस रोड परशोतम सिंह के घर से जगदीश चंद के घर तक	2023-2024	₹ 2,78,000.00	₹ 2,54,385.00	₹ 2,54,385.00	₹ 2,67,346.00	17829	49-50	पूर्ण
3	नि. चेक डेम कीकर सिंह जोगिन्दर सिंह की जमीन में वाई न 4	2023-2024	₹ 2,94,000.00	₹ 2,23,743.00	₹ 2,23,743.00	₹ 2,61,103.00	17829	52-53	पूर्ण
4	नि. जीप रोड परवीन के घर से देव राज के घर तक वाई न 1	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 2,27,169.00	₹ 2,27,169.00	₹ 2,33,034.00	17829	50-51	पूर्ण
5	नि. भूमि सुधार चेक डेम शीला देवी आदि की जमीन में	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 2,68,806.00	₹ 2,68,806.00	₹ 2,74,792.00	17829	27-28	पूर्ण
6	नि. नाली / प्रोटेक्शन बाल उधम सिंह सुदामा आदि की जमीन में	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 2,65,045.00	₹ 2,65,045.00	₹ 2,69,117.00	17829	37-39	पूर्ण
7	नि. लिंक रोड सड़क से नागरुडा	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 2,65,162.00	₹ 2,65,162.00	₹ 2,82,396.00	17829	25-26	पूर्ण
8	नि. एम्बुलेंस रोड सड़क से विध्या देवी के घर तक	2023-2024	₹ 2,99,000.00	₹ 2,84,239.00	₹ 2,84,239.00	₹ 2,86,872.00	17829	23-24	पूर्ण
9	नि. लिंक रोड जोगिन्दर के घर से बही नाला तक	2023-2024	₹ 2,97,000.00	₹ 2,13,113.00	₹ 2,13,113.00	₹ 2,19,786.00	17829	43-44	पूर्ण
10	नि. लिंक रोड मुख्य सड़क से साड्डा बस्ती तक	2023-2024	₹ 2,82,000.00	₹ 2,57,910.00	₹ 2,57,910.00	₹ 2,18,786.00	17829	41-43	पूर्ण
11	नि. लिंक रोड सड़क से गनपत ब जेसी राम के घर तक	2023-2024	₹ 2,94,000.00	₹ 2,68,415.00	₹ 2,68,415.00	₹ 2,91,610.00	17829	39-41	पूर्ण
12	नि. कुआ नजदीक पठियार	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 1,36,826.00	₹ 1,36,826.00	₹ 1,37,836.00	17828	35-37	पूर्ण
13	नि. कुआ नजदीक थंड बाल बस्ती जमंघीर	2023-2024	₹ 3,00,000.00	₹ 1,39,150.00	₹ 1,39,150.00	₹ 1,53,132.00	18828	34-35	पूर्ण
14	नि. पौधारोपण सुभम कर्म सिंह सिन्लो देवी की जमीन में	2022-23	₹ 2,58,000.00	₹ 1,26,264.00	₹ 1,26,264.00	₹ 1,30,430.00	17828	32-33	पूर्ण
15	नि. पौधारोपण राकेश कीकर भगवान की जमीन में	2022-23	₹ 2,43,000.00	₹ 1,25,628.00	₹ 1,25,628.00	₹ 1,28,811.00	17828	31-32	पूर्ण
16	नि. कुआ नजदीक पठियार	2022-23	₹ 3,00,000.00	₹ 1,36,826.00	₹ 1,36,826.00	₹ 1,37,836.00	17828	35-37	पूर्ण
17	नि. कुआ नजदीक थंड बाल बस्ती जमंघीर	2022-23	₹ 3,00,000.00	₹ 1,39,150.00	₹ 1,39,150.00	₹ 1,53,132.00	18828	34-35	पूर्ण
18	नि. पौधारोपण विजय समशेर आदि की जमीन में	2022-23	₹ 2,27,000.00	₹ 1,14,426.00	₹ 1,14,426.00	₹ 1,18,241.00	13741	94	पूर्ण
19	नि. बाटर कोर्स रतन चंद महिंदर सिंह आदि की जमीन में	2022-23	₹ 2,92,000.00	₹ 2,65,998.00	₹ 2,65,998.00	₹ 2,69,997.00	13741	98-100	पूर्ण
20	नि. चेक डेम दिली मोहमद की जमीन में	2022-23	₹ 1,90,000.00	₹ 1,85,718.00	₹ 1,85,718.00	₹ 2,02,674.00	13741	75-78	पूर्ण
21	नि. चेक डेम प्रकाश गनपत की जमीन में	2022-23	₹ 2,36,000.00	₹ 2,30,181.00	₹ 2,30,181.00	₹ 2,44,756.00	17829	12-13	पूर्ण
22	नि. भूमि सुधार चेक डेम स्वर्ण सिंह अशोक कुमार आदि की जमीन में	2022-23	₹ 2,84,000.00	₹ 2,66,232.00	₹ 2,66,232.00	₹ 2,92,899.00	13741	94-97	पूर्ण
23	नि. भूमि सुधार चेक डेम राय सिंह मदन लाल की जमीन में	2022-23	₹ 2,79,000.00	₹ 2,72,196.00	₹ 2,72,196.00	₹ 2,98,891.00	13741	85-87	पूर्ण
24	नि. चेक डेम सजान सिंह सरला जगदीश की जमीन में	2022-23	₹ 3,00,000.00	₹ 2,27,660.00	₹ 2,27,660.00	₹ 2,28,711.00	17787	6-8	पूर्ण
25	नि. बाटर कोर्स व्यासा देवी गनपत जेसी राम की जमीन में	2022-23	₹ 2,35,000.00	₹ 2,25,280.00	₹ 2,25,280.00	₹ 2,41,559.00	17828	15-17	पूर्ण
26	नि. बाटर कोर्स हरिजन बस्ती गोवर नन्द	2022-23	₹ 2,92,000.00	₹ 2,41,542.00	₹ 2,41,542.00	₹ 2,78,026.00	17787	5-6	पूर्ण
27	नि. एम्बुलेंस रोड कमला देवी के घर से धना के घर तक	2022-23	₹ 2,79,000.00	₹ 2,52,926.00	₹ 2,52,926.00	₹ 2,64,777.00	13741	64-67	पूर्ण
28	नि. लिंक रोड तीली से धर्म सिंह के घर तक	2022-23	₹ 3,00,000.00	₹ 2,59,484.00	₹ 2,59,484.00	₹ 2,68,622.00	13741	67-69	पूर्ण
29	नि. कचा लिंक रोड नाचा से पठियार बस्ती	2022-23	₹ 1,51,000.00	₹ 1,48,404.00	₹ 1,48,404.00	₹ 1,66,233.00	13741	91-92	पूर्ण
30	नि. लिंक रोड इंटर लॉक टाइल में रोड से पंचायत घर कमल जीत के घर तक	2022-23	₹ 3,00,000.00	₹ 2,36,873.00	₹ 2,36,873.00	₹ 2,73,873.00	17786	1-2	पूर्ण
31	नि. जीप रोड रन सिंह के घर से पुरली तक	2022-23	₹ 2,04,000.00	₹ 2,03,996.00	₹ 2,03,996.00	₹ 2,24,915.00	17828	17-19	पूर्ण
32	नि. लिंक रोड सिरमनी से पठियार तक	2022-23	₹ 2,91,000.00	₹ 1,42,187.00	₹ 1,42,187.00	₹ 1,42,687.00	17829	8-9	पूर्ण
33	नि. चेक डेम नसीब सिंह पड्डा की सिरमनी तक	2022-23	₹ 2,56,000.00	₹ 2,13,586.00	₹ 2,13,586.00	₹ 2,15,711.00	17829	6-8	पूर्ण
34	नि. बाटर टैक Govt. Sen. School की जमीन में	2022-23	₹ 2,80,000.00	₹ 2,32,105.00	₹ 2,32,105.00	₹ 2,37,279.00	17828	44-47	पूर्ण
				कुल व्यय राशि जोड़	₹ 72,66,276.00				

GRS Gram Panchayat
Dev. Block Kangra (H.P.)

Rayan Lal
Technical Assistant
Gram Panchayat
Development Block Kangra (H.P.)

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Kangra (H.P.)

35

